

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों हेतु संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत आवेदकों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

1. आवेदन की प्रक्रिया:

- आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन पत्र वेबसाइट <https://www.obcccomputertraining.upsdc.gov.in> पर उपलब्ध है।
- आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

2. आवेदन के लिए पात्रता:

- आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता: आवेदक को 12वीं या उससे उच्चतम शैक्षिक योग्यता होना चाहिए।
- आय सीमा: आवेदक का पारिवारिक वार्षिक आय ₹1,00,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
- आवेदन करने हेतु वही आवेदक पात्र होंगे, जो किसी अन्य शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहे हों।

3. आवेदन में शामिल दस्तावेज:

- 10वीं (हाईस्कूल) की मार्कशीट।
- 12वीं (इण्टरमीडिएट) की मार्कशीट।
- जाति प्रमाणपत्र।
- आय प्रमाणपत्र।
- फैमिली आईडी0।
- अन्य आवश्यक दस्तावेज।

4. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

- सबसे पहले, वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन पंजीकरण करें।
- सभी आवश्यक जानकारी सही से भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन पत्र को ऑनलाइन सबमिट करने के बाद, एक प्रिंट आउट लें।
- प्रिंट आउट की हस्ताक्षरित हार्डकापी सभी वांछित अभिलेखों सहित संबंधित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करें।

5. पाठ्यक्रम विवरण:

- आवेदकों को CCC (Course on Computer Concepts) या O-Level में से एक कोर्स चुनने का विकल्प मिलेगा।

6. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:

- प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण के दौरान 75 प्रतिशत आधार आधारित फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी बिना समुचित कारण/सूचना के 15 दिनों या उससे अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में रखे गये अन्य छात्र का चयन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- ऑनलाइन आवेदन में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित आवेदक का होगा।
- प्रशिक्षणार्थियों का चयन उसके कक्षा 12 के प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित वरीयतानुसार किया जायेगा।
- 'ओ' लेवल अथवा सी०सी०सी० के लिए चयनित किये गये आवेदकों का पंजीकरण तथा संस्था द्वारा दिये जाने वाला प्रशिक्षण निःशुल्क होगा।
- विभाग द्वारा प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान नियमानुसार संस्था को किया जायेगा। प्रशिक्षणार्थी को पंजीकरण अथवा प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कोई भी धनराशि संस्था को भुगतान नहीं करना होगा।
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 'नीलिट' द्वारा आयोजित परीक्षा हेतु लिया जाने वाला परीक्षा शुल्क प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं नीलिट को ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

- आवेदक द्वारा विभाग से यदि पूर्व में 'ओ'-लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, तो वह सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, किन्तु यदि पूर्व में सी0सी0सी0 का प्रशिक्षण लिया गया है, तो वह 'ओ'-लेवल प्रशिक्षण हेतु वर्तमान में पात्र होगा।

7. अंतिम तिथि:

- ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि समय-सारिणी एवं अन्य जानकारी वेबसाइट <https://www.obccomputertraining.upsdc.gov.in> पर उपलब्ध है।